



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 104/2025

दिनांक- 20.03.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-20.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना सरायमीर: चोरी गये सामान व अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 05.03.2025 को आवेदक सुनील यादव पुत्र रामअवध यादव ग्राम सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा एक प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 04.03.2025 की बीती रात को अज्ञात चोरो द्वारा उसके घर की खिड़की काट कर घर में रखा पायल, अगूंठी, चैन आदि सामग्री व कुछ नगद पैसे चुरा ले गये थे। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 81/25 धारा 331(4)/305 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 20.03.2025 को उपरोक्त मुकदमें में (प्रकाश में आये) अभियुक्त मिथिलेश मौर्या उर्फ मिलन पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पवईलाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को मय चोरी के सामान तथा अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण -

आज दिनांक 20/03/2025 को उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह को सूचना मिली की सुनील यादव भट्टे वाले के मकान में रात में जो चोरी हुई थी वह व्यक्ति जो चोरी किया है भट्टे के पास से डेमरी गांव होते हुए डेमरी मोड़ सरायमीर सड़क पर आ रहा है जिसके पास चोरी का सामान भी है तथा अपने पास असलहा भी रखा है यदि जल्द किया जाए तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम मिथिलेश मौर्या उर्फ मिलन पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पवई लाडपुर थाना सरायमीर, आजमगढ़ को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा एक प्लास्टिक की छोटी पन्नी में एक अदद चाँदी का सिक्का व एक जोड़ी पायल सफेद धातु व जेब से 6850/ रुपये के साथ समय करीब 11.45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरे ऊपर कई मुकदमें हैं जो न्यायालय में चल रहा है। उसमें पैरवीकार को पैसा देने की आवश्यकता थी तो करीब 15 दिन पहले सिकरौर से पहले एक मकान सूनसान जगह पर रोड के किनारे देखा तो मकान के बगल की खिड़की तोड़कर मकान के अन्दर रखे एक बक्से से दस हजार रुपया व एक जोड़ी पायल व एक चाँदी का सिक्का था उसे में लेकर उसी खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया था। अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा-3/25 शास्त्र अधिनियम व मु0अ0सं0 81/25 धारा-331(4), 305, 317 (2) B.N.S का दण्डनीय अपराध बताते हुए समय करीब 11:45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त का नाम व पता -

1. मिथिलेश मौर्या उर्फ मिलन पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पवईलाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 101/2025 धारा 3/25 शास्त्र थाना सरायमीर आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 331(4)/305 B.N.S व बढ़ोत्तरी धारा 317 (2) B.N.S थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी -

- 1- एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक एक अदद कारतूस .315 बोर।
- 2- एक जोड़ी पायल सफेद धातु व एक अदद चाँदी का सिक्का व नकद 6850/- रुपया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 205/11 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 105/16 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 172/16 धारा 41/411 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 122/13 धारा 307/411/41 भा0द0वि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 382/11 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 24/20 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 25/20 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

8. मु0अ0सं0 241/16 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ।
9. मु0अ0सं0 58/23 धारा 8/20 NDPS ACT थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।
10. मु0अ0सं0 11/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
11. मु0अ0सं0 32/18 धारा 380, 457, 504, 506, 511 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
12. मु0अ0सं0 41/19 धारा 8/20 NDPS ACT थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
13. मु0अ0सं0 166/17 धारा 8/21/22 NDPS ACT थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
14. मु0अ0सं0 261/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
15. मु0अ0सं0 3/14 धारा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।
16. मु0अ0सं0 12/11 धारा 380/457 भा0द0वि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।
17. मु0अ0सं0 115/13 धारा 379, 511 भा0द0वि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।
18. मु0अ0सं0 380/11 धारा 392 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।
19. मु0अ0सं0 393/11 धारा 307 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।
20. मु0अ0सं0 394/11 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।
21. मु0अ0सं0 4/13 धारा 380, 411, 457, 511 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
22. मु0अ0सं0 305/13 धारा ¼ गुण्डा अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
23. मु0अ0सं0 95/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना खेतासराय जनपद जौनपुर ।
24. मु0अ0सं0 1045/16 धारा 379, 411 भा0द0वि0 थाना लाइन बाजार जौनपुर ।
25. मु0अ0सं0 101/2025 धारा 3/25 शस्त्र थाना सरायमीर आजमगढ़ ।
26. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 331(4)/305 B.N.S व बढ़ोत्तरी धारा 317 (2) B.N.S थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।



02.थाना रानी की सराय: चोरी गये आभूषण के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 07.03.2025 को वादी रामरतन पटेल S/O स्वर्गीय अछैवर पटेल ग्रा0 मलिक हुसेनपुर थाना रानी की सराय जनपद-आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि आज दिनांक 7.3.2025 को समय करीब 11.00 बजे दिन में मेरी पत्नी खेत में मटर तोड़ने के लिये गई थी वहां पर अपने कान के दोनो कनफुल उतारकर मटर की गठरी के पास रखी थी कि दो व्यक्ति मोटर साइकल सवार आकर पता पूछने के बहाने मेरे दोनों कान के कनफुल चुरा कर भागने लगे काफी शोर मचाया किन्तु वह भाग निकले जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 61/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना उ.नि. ओमप्रकाश यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी। जिसमें प्रकाश में आये एक अभियुक्त बीरू चौहान पुत्र नन्दलाल चौहान नि0 कतरा कोठिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दिनांक 10.03.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 20.03.2025 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहन रानी की सराय बाजार में मौजूद था कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि मु0अ0स0 61/2025 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 का वांछित अभियुक्त रविशंकर चौहान उर्फ शेरू पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी उतरगाँवा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ इस समय कोटिला पेट्रोलपंप के आगे मेन रोड पर खड़ा है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर तत्काल मय हमराहियान के कोटिला पेट्रोलपंप के आगे मेन रोड से अभियुक्त रविशंकर चौहान उर्फ शेरू को समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया जिसकी नियमानुसार जामा तालाशी ली गयी तो उसके पैंट की दाहिने जेब से चोरी की एक जोड़ी पायल बरामद हुआ। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- रविशंकर उर्फ शेरू चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी उतरगाँवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत/आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0स0 61/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना रानी की सराय आजमगढ़
- 2- मु.अ.स. 13/25 धारा 303(2) भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़
- 3- मु.अ.स. 47/24 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 4- मु.अ.स. 176/16 धारा 379/411 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 5- मु.अ.स. 242/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 6- निल/19 धारा 110जी भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

बरामदगी:-

- 1- चोरी का एक जोड़ी पायल

गिरफ्तारी करने वाली टीम:

- 1- उ.नि. ओमप्रकाश यादव मय हमराह थाना रानी की सराय आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 20.03.2025, जनपद आजमगढ़

एडीजी महोदय ने जनपद आजमगढ़ के RTC बैरक का किया निरीक्षण, अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा गोष्ठी की गयी।

आज दिनांक- 20.03.2025 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी, जोन वाराणसी महोदय श्री पीयूष मोर्डिया द्वारा जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन्स के आदेश कक्ष पर सलामी गार्ड ली गयी उसके पश्चात एडीजी महोदय, डीआईजी महोदय व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के साथ पुलिस लाइन्स सभागार आजमगढ़ में जनपद आजमगढ़ के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा गोष्ठी की गयी।

उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवक त्रिपाठी, स0पु0अ0 शुभम अग्रवाल, स0पु0अ0 अनन्त चन्द्रशेखर व अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण मौजूद रहें।



प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 20.03.2025 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविकशन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 आरोपी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना जीयनपुर: हत्या के 03 आरोपी अभियुक्तों को 3 वर्ष सश्रम कारावास व 1000-1000 हजार रूपये जुर्माना।

→ दिनांक- 13.11.2006 को वादी मुकदमा श्री महफूज अहमद पुत्र इब्राहीम निवासी पारीपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 11.11.2006 को मेरे पिता इब्राहीम को अभियुक्तगण 1. नौशाद पुत्र स्व0 इलियास 2. अलीमुन निशा उर्फ अनीमुन पत्नी अंसार 3. शाहजहाँ पत्नी नौशाद निवासीगण पारीपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लाठी से मारकर घायल कर देना जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना।

→ अभियुक्तों के विरुद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 1056/2006 धारा -304/34,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया।

→ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

→ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए हैं।

→ जिसके क्रम में दिनांक- 20.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 06 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. नौशाद पुत्र स्व0 इलियास 2. अलीमुन निशा उर्फ अनीमुन पत्नी अंसार 3. शाहजहाँ पत्नी नौशाद निवासीगण पारीपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।